(वाद सं0–616 / 4 / 10 / 2021)

08.03.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, तारा देवी के पति, श्री चौधरी राम, अंचलाधिकारी (सम्पति निलंबित), कुचायकोट, अंचल–गोपालगंज को बकाया वेतन, वेतन निर्धारण की बकाया राशि तथा निलंबन अवधि में जीवन–निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किए जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी के पति, श्री चौधरी राम को सभी बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी, गोपालगंज के पत्र के साथ अंचलाधिकारी, कुचायकोट का भी उपरोक्त आशय का तत्संबंधी प्रतिवेदन संलग्न है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का समुचित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार आज पारित आदेश के साथ जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रतिवेदन (पृष्ठ 10–09 / प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

<u>निबंधक</u>